



राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान

पूर्व सूचित सहमति प्रपत्र

नवप्रवर्तन एवं विचार



हनी बी नेटवर्क

प्रिय नवप्रवर्तक(को)

राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान (रानप्र) की स्थापना भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा फरवरी २००० में की गई। एक स्वायत्त संस्था के रूप में रानप्र की स्थापना इस उद्देश्य के साथ की गई है कि व्यक्तियों/समुदायों के गैर-सहायता प्राप्त नवप्रवर्तनों और विशिष्ट पारंपरिक ज्ञान की पहचान की जाए तथा उन्हें आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की जाए। इस पहल से पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण होगा और साथ ही नवप्रवर्तकों तथा ज्ञानसंपन्न लोगों को समाज में उचित स्थान भी प्राप्त होगा। यह पहल भारत को एक नवप्रवर्तनशील समाज बनाने के लिए सहायक सिद्ध होगी। रानप्र, तृणमूल प्रौद्योगिकीय नवप्रवर्तनों और पारंपरिक ज्ञान के राष्ट्रीय रजिस्टर में शामिल होने वाले नवप्रवर्तनों/पारंपरिक ज्ञान के प्रकटीकरण और/या मूल्य परिवर्धन के लिए, सभी नवप्रवर्तकों / ज्ञानप्रदाताओं से लिखित सहमति व प्राधिकरण प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस पूर्व सूचित सहमति प्रपत्र में दिए गए विभिन्न विकल्पों को समझने के लिए एक व्याख्यात्मक टिप्पणी भी संलग्न की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि इसकी मदद से यह प्रपत्र भरना आसान होगा। रानप्र विश्वास दिलाता है कि हमारा प्रत्येक कदम आपके द्वारा बताई गई शर्तों पर ही आधारित होगा। यदि हम आपकी शर्तों में किसी तरह का परिवर्तन चाहेंगे तो उसके लिए भी आपसे लिखित सहमति ली जाएगी।

(हस्ताक्षर)

रानप्र की मुहर

संदर्भ संख्या :

नवप्रवर्तक का नाम :

.....

कृपया प्रश्न के आगे दिए गए “हाँ” या “नहीं” वाले किसी एक खाने पर $\sqrt{\quad}$ का निशान लगाएँ।

हाँ नहीं

क) आपके नवप्रवर्तन/विचार में रुचि दिखाने वालों को क्या आपका पता दिया जा सकता है?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

ख) क्या रानप्र आपके नवप्रवर्तन/विचार को इंटरनेट या हनी बी पत्रिका या अन्य किसी माध्यम में प्रदर्शित/प्रकाशित कर सकता है?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

ग) यदि हाँ, तो किस सीमा तक आप चाहते हैं कि रानप्र आपके द्वारा प्रदत्त जानकारी का खुलासा करे?

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

अ. आंशिक प्रकटीकरण/सारांश के रूप में

अथवा

आ. पूर्ण प्रकटीकरण

तथा निम्न में से किन शर्तों के अंतर्गत -

I. केवल व्यावसायिक शर्तों के आधार पर (यदि इच्छुक पक्ष भुगतान करने को तैयार हो)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

II. निःशुल्क

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

III. कोई अन्य विकल्प? कृपया स्पष्ट करें : -----

घ) क्या आप चाहेंगे कि रानप्र आपके नवप्रवर्तन/विचार में मूल्य परिवर्धन करे?

(विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन, प्रोटोटाइप विकास, मूल्य परिवर्धन, परीक्षण इत्यादि)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

ङ) क्या आप चाहते हैं कि वाणिज्यीकरण प्रक्रिया में रानप्र आपकी तरफ से मध्यस्थता करे? (यदि यह विकल्प लागू हो)

(व्यापार योजना तैयार करना, बाजार सर्वेक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण इत्यादि)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

च) क्या आप रानप्र के माध्यम से अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण चाहते हैं (यदि यह विकल्प लागू हो)

घोषणा : मैंने/हमने यह पूर्व सूचित सहमति प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा व्याख्यात्मक टिप्पणी में बताई गई बातें समझ ली हैं। प्रश्न 'क' से 'च' तक विकल्प/विकल्पों का चयन मैंने/हमने स्वेच्छा से किया है। मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि यदि यह नवप्रवर्तन/विचार पहले से सुविदित हो या सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध हो तो इस प्रपत्र में लगाई गई शर्तें लागू नहीं होंगी और इसके प्रसार या अनुप्रयोग संबंधी प्रतिबंध भी लागू नहीं होंगे। मैं/हम रानप्र को आश्वस्त करता/करती/करते हूँ/हैं कि ऊपर बताई गई सूचनाएँ मेरी/हमारी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य हैं।

नवप्रवर्तक/कों के हस्ताक्षर -----

नवप्रवर्तक/कों का पता -----

साक्षी/सहयोगी/स्काउट/रानप्र प्रतिनिधि का नाम व पता : -----

साक्षी/सहयोगी/स्काउट/रानप्र प्रतिनिधि के हस्ताक्षर : -----

स्थान : -----

दिनांक: -----

राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान

बंगला नं. १, सैटेलाइट कॉम्प्लेक्स, प्रेमचंद नगर मार्ग, वस्त्रापुर, अहमदाबाद, गुजरात - ३८० ०१५, भारत

फोन : ०७९-२६७३ ३५०१, २६७ २०९५, फैक्स ०७९-२६७३ १९०३, ईमेल : campaign@nifindia.org वेबसाइट : www.nifindia.org

राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान, अहमदाबाद
पूर्व सूचित सहमति हेतु व्याख्यात्मक जानकारी
नवप्रवर्तन एवं विचार

राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान (रानप्र) को इस बात की बेहद खुशी है कि आपने अपने स्वयं के प्रयत्नों से विकसित विचार/नवप्रवर्तन को हमारे साथ बाँटा है। आपके ज्ञान अथवा नवप्रवर्तन को अन्य इच्छुक लोगों के साथ बाँटने के लिए हमें आपकी लिखित पूर्व सूचित सहमति की आवश्यकता है। अन्य लोगों में जनसामान्य, शोध विशेषज्ञ, संभावनाशील निवेशक या उद्यमी, समुदाय, इंटरनेट/रेडियो/टी.वी./पत्र-पत्रिकाएँ/अखबार भी हो सकते हैं।

हमारा उद्देश्य दोहरा है – हम आपके विचार / नवप्रवर्तन का प्रचार-प्रसार भी करना चाहते हैं तथा संरक्षण भी। ज्ञान के प्रचार-प्रसार से व्यक्ति और समाज को सीधे-सीधे लाभ होगा जबकि ज्ञान के संरक्षण व व्यवसायीकरण से भी लाभ तो होगा लेकिन उसके लिए कुछ कीमत भी चुकानी होगी। यदि हमारे देश में बौद्धिक संपदा अधिकारों के तुरंत मिलने की व्यवस्था होती तो इस तरह के अधिकार तुरंत मिल जाते, तब आपके औद्योगिक अनुप्रयोग वाले अप्रकट और नए नवप्रवर्तन का संरक्षण करना आसान होता। परन्तु हमारे देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं है इसलिए हमें आपसे यह पूर्व सूचित सहमति लेनी पड़ रही है। जिससे हम उसी दिशा में कार्य करें जैसा आप उचित समझते हैं। रानप्र ज्ञान प्रदाताओं (व्यक्ति या समुदाय) और तृणमूल नवप्रवर्तकों के प्रति अपने नैतिक दायित्वों के मद्देनजर पूर्व सूचित सहमति लेना आवश्यक समझता है।

आपके नवप्रवर्तन को गोपनीय रखना (यदि आप चाहें तो) व आपके निर्देशों के आधार पर कार्य करना रानप्र का नैतिक कर्तव्य है। हमारा उद्देश्य है कि तृणमूल नवप्रवर्तनों व पारंपरिक ज्ञान की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के प्रतिभागी के रूप में और एक ज्ञान प्रदाता के रूप में आपको अपने अधिकारों का ज्ञान हो। हालाँकि ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे बाध्य होकर हम यह कर रहे हों। अपितु रानप्र ने एक नैतिक व्यवहार के तहत ज्ञान प्रदाताओं से पूर्व सूचित सहमति लेने का निर्णय किया है। इससे एक विश्वास का माहौल सभी हितधारकों के बीच कायम होगा – चाहे नवप्रवर्तक हों या मूल्य परिवर्धन करने वाले लोग हों या वाणिज्यिक अथवा गैर-वाणिज्यिक आधार पर प्रसार में इच्छुक लोग हों। यहाँ यह स्पष्ट कर दें कि **यदि आपका ज्ञान, नवप्रवर्तन या व्यवहार पहले से ही सुविदित हो और सार्वजनिक हो तो उस स्थिति में इसके प्रसार या अनुप्रयोग पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।**

परिभाषा :

गैर-सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकीय नवप्रवर्तन का तात्पर्य बिना किसी औपचारिक या अनौपचारिक संस्था या बाहरी एजेंसी की मदद लिए, किसी मौजूदा विधि, व्यवहार या सामग्री में तकनीकी संशोधन या मौजूदा प्रौद्योगिकियों के किसी नए अनुप्रयोग या फिर नए आविष्कार से है, जो किसी समस्या के समाधान या उत्पाद या सेवा के सृजन के लिए किया जाता है। समाज अथवा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले नवप्रवर्तनों पर रानप्र विचार नहीं करता।

क) किसी तीसरे पक्ष को पता बताना

अक्सर लोगों को कोई नवप्रवर्तन या विचार या पारंपरिक ज्ञान पसंद आता है तो वे उसके बारे में अधिक जानने को इच्छुक होते हैं। कई बार यह इच्छा महज जिज्ञासा होती है परन्तु कई बार मूल्य परिवर्धन के लिए या आगे शोध के लिए या इसके बाज़ार अवसरों का पता लगाने के लिए लोग इसमें इच्छुक होते हैं।

पता बताने से लाभ :

- इच्छुक लोग आपसे सीधे संपर्क कर पाएँगे और इस तरह उनका आप तक पहुँचने का श्रम व व्यय कम हो जाएगा।
- आप रानप्र की राय के बिना अपनी शर्तों के मुताबिक समझौता कर सकेंगे।
- आपके विचारों का बिना किसी प्रकार की त्रुटि या फेरबदल के सीधा प्रसार संभव होगा।

पता बताने से हानि :

- किसी तीसरे पक्ष से बात करते समय आपको
 - (क) हो सकता है कि सूचना प्राप्त करने वाले की ईमानदारी का पता लगाना मुश्किल हो
 - (ख) संभव है तीसरा पक्ष बहुत कम पैसों में आपको नवप्रवर्तन/विचार खरीद ले
 - (ग) अपने हितों के अनुरूप उचित समझौता तैयार करने में मुश्किल हो सकती है

यदि आप अपना पूरा पता नहीं देना चाहते हैं तो हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं। हम समझौते की प्रक्रिया में आपकी मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि संदिग्ध लोग आप तक न पहुँचें। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि तीसरे पक्ष से आप स्वयं बात करें, ऐसी स्थिति में आपको कभी भी मदद की आवश्यकता हो तो आप रानप्र से संपर्क कर सकते हैं।

ख) नवप्रवर्तन/विचार को दूसरों के साथ बाँटना : वेबसाइट या हनी बी के प्रकाशनों या फिल्म जैसे किसी अन्य माध्यम से दूसरों के समक्ष पूर्ण या आंशिक प्रकटीकरण

ग) प्रकटीकरण के प्रकार :

अ) आंशिक प्रकटीकरण या सारांश रूप में प्रकटीकरण

लाभ :

- संभावनाशील उद्यमी, निवेशक या अन्य सहयोगी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधानकर्ता सहित, प्रौद्योगिकी में सुधार या समाज में इसके वाणिज्यिक या गैर-वाणिज्यिक आधार पर प्रसार के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं। सारांश रूप में प्रकटीकरण किस प्रकार किया जाए, इसका एक उदाहरण हर्बल प्रौद्योगिकी के मामले में यह हो सकता है : “स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामग्रियों पर आधारित मधुमेह का एक हर्बल समाधान”। यंत्र के मामले में यह कुछ इस प्रकार हो सकता है : “मोटरसाइकिल चालित जुताई यंत्र”।
- आपके स्वयं के या बाहरी समुदायों के व्यक्ति आपके नवप्रवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे और प्रशंसा करेंगे। इन व्यक्तियों की प्रशंसा से जो पहचान मिलेगी वह पहचान धन अथवा पुरस्कार से नहीं मिल सकती।
- यदि आपके नवप्रवर्तन/ज्ञान की संक्षिप्त जानकारी रोचक लगी तो संभव है मीडिया (अखबार, टी.वी., रेडियो) के लोग अधिक जानकारी पाने के लिए आपसे सम्पर्क करें।

हानि :

- उत्पाद के अनुष्ठेपन के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध न होने की स्थिति में संभव है कि उत्पाद के विकास/वाणिज्यीकरण हेतु संभावनाशील निवेशक, उद्यमी या वैज्ञानिक आपसे सम्पर्क ही न करें।

आ) पूर्ण प्रकटीकरण

लाभ :

- कोई भी तीसरा पक्ष आपके नवप्रवर्तन के बारे में अपनी शंकाओं के समाधान के लिए आपसे सीधा संपर्क कर सकता है।
- आपका नवप्रवर्तन पाठकों/दर्शकों/श्रोताओं के बीच पहचान, प्रशंसा एवं प्रचार पा सकता है।
- स्थानीय संगी-साथियों और व्यापक समुदाय के बीच पारस्परिक सूचना-प्रसार से हो सकता है लोग प्रकट किए गए ज्ञान पर प्रयोग करें या इसका उपयोग करना आरंभ कर दें। ऐसा होने पर स्वरोजगार, गरीबी उन्मूलन, उत्पादकता में बढ़ोत्तरी तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
- हो सकता है कि विस्तृत जानकारी देने के कारण उपभोक्ताओं या मूल्य शृंखला के संभावित सहयोगियों के बीच आपके नवप्रवर्तन की मांग बढ़ जाए। कुछ मामलों में, नवप्रवर्तन के इस्तेमाल की प्रक्रिया जटिल होती है या सभी सामग्रियाँ स्थानीय तौर पर नहीं मिल पाती हैं इसलिए उपयोगकर्ताओं को इसका इस्तेमाल करना या स्वयं बनाना मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में लोग इसे नवप्रवर्तक से खरीदना चाहेंगे और इस तरह मांग स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी।
- उत्पाद के आगे विकास/वाणिज्यीकरण के लिए संभावनाशील उद्यमी, निवेशक, वैज्ञानिक इत्यादि आपसे सीधे संपर्क कर सकते हैं।

हानि :

- पूर्ण प्रकटीकरण से आपकी जानकारी सार्वजनिक हो जाती है। कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता है।
- एक बार जानकारी के प्रकटीकरण के बाद पेटेंट में समस्या आ सकती है। लेकिन प्रौद्योगिकी का अप्रकट भाग फिर भी संरक्षित रह सकता है।
- उत्पाद के विकास/वाणिज्यीकरण हेतु संभावनाशील निवेशक, उद्यमी या वैज्ञानिक यदि प्रकट की गई जानकारी के आधार पर स्वयं उत्पाद विकसित करने में सक्षम हुए तो उस स्थिति में संभव है वे आपसे सम्पर्क ही न करें।
- हो सकता है अन्य व्यक्ति इससे फायदा उठा लें और आपके आप ही के कार्य का श्रेय नहीं मिल पाए।

प्रकटीकरण की शर्तें

(१) व्यावसायिक आधार पर

इसमें इच्छुक तीसरे पक्ष को लाभ की साझेदारी के आधार पर ही प्रौद्योगिकी के प्रयोग की छूट होती है। विभिन्न व्यावसायिक समझौतों की शर्तें भी भिन्न-भिन्न होती हैं। कुछ परिस्थितियों में उद्यमी लाइसेंस की रकम के रूप में कुछ धनराशि देता है, तथा वह रॉयल्टी के रूप में एक निश्चित समय तक कुल बिक्री की २-३ प्रतिशत धनराशि भी देता है। हालाँकि व्यावसायिक माँग पैदा करने की किसी प्रौद्योगिकी की क्षमता इसके अनूठेपन, इसकी व्यावसायिक क्षमता पर निर्भर करती है। यह भी कि क्या प्रौद्योगिकी उपयोग के लिए तैयार है या विचार/नवप्रवर्तन को उत्पाद में तब्दील करने के लिए आगे शोध और संशोधन की आवश्यकता है। यदि कोई इस विकल्प का चुनाव करता है तो भी हो सकता है कि रानप्र राष्ट्रीय रजिस्टर में आने वाली प्रत्येक प्रविष्टि के लिए व्यावसायिक विकल्प तत्काल उपलब्ध न करा जाए। नवप्रवर्तनों की संक्षिप्त जानकारी रानप्र की वेबसाइट तथा हमारे डेटाबेस में उपलब्ध होती है। किसी विशेष प्रौद्योगिकी या उत्पाद में इच्छुक उद्यमी उसके वाणिज्यीकरण के लिए हमसे सम्पर्क करते हैं।

इस विकल्प का चयन करने में हानि यह है कि केवल वही उपयोगकर्ता आपके नवप्रवर्तन का लाभ ले सकते हैं जो प्रौद्योगिकी का लाइसेंस लेने के लिए पैसा चुकाने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा, जो व्यक्ति इस प्रौद्योगिकी का और अधिक विकास करना चाहते हैं विस्तृत जानकारी के अभाव में वे ऐसा नहीं कर सकेंगे।

(२) निःशुल्क आधार पर

इसका आशय यह है कि यदि कोई व्यक्ति, छोटा किसान या कारीगर निजी उपयोग हेतु आपके नवप्रवर्तन का प्रयोग अपने खेत या अपने वर्कशॉप पर करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में लाभ की साझेदारी की शर्त नहीं होगी।

इस विकल्प का चयन करने में नुकसान यह है कि संभव है कि कोई व्यक्ति निजी उपयोग की बात कह कर नवप्रवर्तन के प्रयोग की अनुमति ले परन्तु बाद में व्यावसायिक रूप से उत्पादन करने लगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए समझौता-पत्र सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए।

घ) नवप्रवर्तन / विचार में मूल्य परिवर्धन

नवप्रवर्तन को तभी दूसरों के साथ बाँटा जा सकता है जब इसे और अधिक प्रभावी या सक्षम बनाया जाए। इसके लिए नवप्रवर्तक द्वारा स्वयं या किसी शोध संस्थान द्वारा शोध इत्यादि का कार्य किया जा सकता है। यदि इस विकल्प का चयन किया जाता है तो नवप्रवर्तन पर बिना आगे शोध हुए किसी तीसरे पक्ष को नहीं दिया जाएगा। मूल्य परिवर्धन में विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन, प्रोटोटाइप विकास, परीक्षण इत्यादि शामिल हो सकते हैं। इस विकल्प का नुकसान यह है कि यदि रानप्र या नवप्रवर्तक किसी वजह से (जैसे संसाधनों की कमी या प्राथमिकता न दे पाने के कारण) मूल्य परिवर्धन नहीं कर पाए तो नवप्रवर्तन उतने समय तक समाज के सामने प्रकट नहीं हो पाएगा। प्रकटीकरण न हो पाने के कारण कोई शोधकर्ता, जो मूल्य परिवर्धन, प्रदर्शन में सुधार इत्यादि कार्यों में मददगार हो सकता है, मदद नहीं कर पाएगा।

ङ) वाणिज्यीकरण हेतु रानप्र द्वारा मध्यस्थता

इस विकल्प का चयन करने का अर्थ है कि नवप्रवर्तक की ओर से व्यवसाय योजना बनाने, उत्पाद विकास, बाज़ार शोध इत्यादि विभिन्न उद्देश्यों के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो, रानप्र हस्तक्षेप कर सकता है।

(१) व्यवसाय योजना बनाने के लिए सहमति से तात्पर्य है कि किसी विचार या नवप्रवर्तन या पारंपरिक ज्ञान की व्यवसाय संभावनाओं का पता लगाने के लिए रानप्र प्रबंधन विद्यार्थियों, ज्ञान (GIAN) संस्था या अन्य लोगों की मदद ले सकता है।

(२) उत्पाद विकास हेतु सहमति से तात्पर्य है कि रानप्र आईआईटी, एनआईडी या अन्य प्रौद्योगिकीय कालेजों या निजी उद्यमियों या शोध एवं विकास संस्थानों से मूल्य परिवर्धन हेतु सहायता ले सकता है।

इन कार्यों में खर्च होने वाली धनराशि लाइसेंस की फ़ीस से या रॉयल्टी की रकम से प्राप्त होना संभव है जो प्रौद्योगिकी के वाणिज्यीकरण या नवप्रवर्तक द्वारा साझा किए जाने से, जहाँ जैसा संभव व लागू हो, प्राप्त हो सकती है। रानप्र को अधिकार है कि सुधार व विकास के लिये वह अपनी प्राथमिकता के आधार पर अथवा केवल पुरस्कृत नवप्रवर्तकों को ही चयन करे जो राष्ट्रीय रजिस्टर में दर्ज हैं। इसके लिए मापदंडों में नवीनता, उपयोगिता, नवप्रवर्तन से सामाजिक प्रभाव, बेरोजगारी उन्मूलन, पर्यावरण संगतता, तथा दक्षता इत्यादि हो सकते हैं। इसके साथ-साथ यदि नवप्रवर्तन के द्वारा महिला व बाल श्रम में कमी आए तथा कार्यक्षमता बढ़े तो ये भी विचारणीय मापदंड होंगे।

(३) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण

रानप्र को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए जिम्मेदारी सौंपना या अधिकार प्रदान करना

इस विकल्प को चयन करने पर रानप्र आपकी ओर से उद्यमियों व निवेशकों से बातचीत करेगा। तीसरे पक्ष को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के दौरान यदि किसी तरह विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो रानप्र समझौता लागू करवाने के लिए यथोचित मामलों में कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराएगा।

लाभ :

- कब, किसे और किस तरह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किया जाए, इस सम्बन्ध में आपका मार्गदर्शन किया जाएगा।
- नवप्रवर्तन को आगे ले जाने के लिए रानप्र सम्बद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं के सतत सम्पर्क में रहेगा।
- कोई तीसरा पक्ष अपने फ़ायदे के लिए आपके नवप्रवर्तन से लाभ नहीं ले पाएगा। यदि नवप्रवर्तक को समझौता करने का अनुभव नहीं है तो भी उसे हानि नहीं होगी।
- नवप्रवर्तन की तकनीकी बारीकियाँ छुपी रहेंगी। इस तरह इन तकनीकी बारीकियों के लिए अलग से समझौता किया जा सकता है।

हानि :

- लाइसेंस समझौते से मिलने वाले संभावित लाभ शायद न भी मिल पाएँ।
- सामाजिक अपेक्षाओं के मद्देनजर छोटे उद्यमी के हितों को भी पूरा करने के क्रम में हो सकता है कि नवप्रवर्तक की अधिकतम लाभ संबंधी सारी अपेक्षाएँ पूरी न हो पाएँ।
- तकनीकी बारीकियाँ न बताए जाने की स्थिति में प्रयोगकर्ता को प्रौद्योगिकी का अधिकतम संभव उपयोग करने में समस्या आ सकती है।

(च) रानप्र द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण

यदि आपका नवप्रवर्तन वास्तव में अद्वितीय है तो रानप्र आपके बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रयास करेगा। इसमें खर्च होने वाली धनराशि लाइसेंस की फ़ीस से या रॉयल्टी की रकम से प्राप्त होना संभव है जो प्रौद्योगिकी के वाणिज्यीकरण या नवप्रवर्तक द्वारा साझा किए जाने से, जहाँ जैसा संभव व लागू हो, प्राप्त हो सकती है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए सहमति मिलने पर रानप्र इस पर आगे कार्रवाई करने में सक्षम होगा। इसके लिए रानप्र अपनी टीम या बाहरी व्यक्तियों को भी इस काम में लगा सकता है।